



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240805  
CG-DL-E-05122022-240805

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5429]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्राहायण 14, 1944

No. 5429]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5661(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए इतद्वारा मध्य स्थनियुक्त करती है जो उक्तसारणी के कॉलम (3) और(4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आईएस, आयुक्त-सह-सचिव (अर्थशास्त्र और	• थौबल	मणिपुर

	सांख्यिकी) और आयुक्त (डीई), मणिपुर सरकार		
--	--	--	--

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Tengnoupal/NH-ACT/Imphal-Moreh(NH-102)/Arbitrator/2022-23]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

**S.O. 5661(E).**— In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purpose of the said sub-section, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of his respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub – Section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

**TABLE**

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IAS, Commissioner-cum-Secretary (Economics & Statistics) & Commissioner (DE), Government of Manipur	<ul style="list-style-type: none"> <li>THOUBAL</li> </ul>	MANIPUR

[F. No. NHIDCL/PMU-Tengnoupal/NH-ACT/Imphal-Moreh(NH-102)/Arbitrator/2022-23]

RAJESH GUPTA, Director